न्यायालय जिला जज, रमाबाई नगर (कानपुर–देहात)।

सिविल प्रकीर्ण वाद संख्या–03/2026

CNR No.–UPRN01–000107–2026

अंजनी कुमार अवस्थी बनाम जगन्नाथ आदि।

02.09.2026

पत्रावली आज आदेश हेतु पेश हुई। विगत तिथि पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की बहस अन्तरण प्रार्थना पत्र पर सुनी जा चुकी है।

आवेदक अंजनी कुमार अवस्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा 4 ग अन्तरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 24 सी०पी०सी० शपथपत्र 5 ग के साथ इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि मूलवाद संख्या–180/2018 जगन्नाथ बनाम श्रीमती स्वर्णलता आदि न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) भोगनीपुर, कानपुर देहात में विचाराधीन है, जिसमें आवेदक प्रतिवादी संख्या–3 है, विपक्षी संख्या–1 उक्त मूलवाद में वादी है तथा वादी के पिता श्री संजय कुमार शुक्ला एडवोकेट है। प्रकरण में वादी के पिता के एडवोकेट होने के कारण भोगनीपुर न्यायालय में कोई अधिवक्ता आवेदक की ओर से पैरवी करने को तैयार नहीं है। आवेदक द्वारा प्रयास करने पर एक अधिवक्ता श्री आर०पी० मिश्रा जो माती कानपुर देहात से आते है, को मूलवाद में अधिवक्ता नियुक्त किया परन्तु उसके अधिवक्ता श्री आर०पी० मिश्रा को मूलवाद के वादी के पुत्र श्री संजय कुमार शुक्ला एडवोकेट द्वारा 10–12 साथियों के साथ मिलकर दिनांक 08.10.2025 को पैरवी करने से मना किया और वकील साहब का अपहरण कर जान से मारने की धमकी दी तब आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मूलवाद में आवेदक की तरफ से पैरवी करने के लिए मना कर दिया जिसके बावत अधिवक्ता महोदय द्वारा प्रार्थना पत्र भी भोगनीपुर न्यायालय में प्रस्तुत किया है। आवेदक द्वारा यह भी कथन किया गया कि उसके द्वारा भोगनीपुर न्यायालय में पैरवी हेतु कई अधिवक्तागण से अनुरोध किया गया लेकिन वहाँ पर अधिवक्ताओं द्वारा कहा गया कि प्रकरण श्री संजय शुक्ला एडवोकेट का है और वह लोग भलाई–बुराई अधिवक्ता से नहीं ले सकते हैं। यह भी कथन किया गया कि दिनांक 15.07.2020 को आवेदक के बटाईदार आवेदक का खेत जोतकर जा रहे थे तभी वादी एवं उनके परिवारीजन द्वारा गम्भीर घटना कारित की गयी जिसके संबंध में वादी, उनके पुत्र संजय कुमार शुक्ला एडवोकेट की पुत्री गरिमा शुक्ला व उनकी पत्नी साधना शुक्ला के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है जिसमें आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए आवेदक की ओर से याचना की गयी कि उक्त मूलवाद भोगनीपुर न्यायालय से माती जनपद कानपुर देहात के किसी भी सक्षम न्यायालय में अन्तरित करने की कृपा करें।

विपक्षी संख्या–1 की उपस्थिति हेतु उभय प्रकार से पैरवी की गयी परन्तु विपक्षी संख्या–1 न्यायालय उपस्थित नहीं आये, अतः दिनांक 02.05.2026 को विपक्षी संख्या–1 पर तामीला पर्याप्त माना गया। विपक्षी संख्या–2 व 3 न्यायालय उपस्थित आये और उनकी ओर से अनापत्ति 21 क मय शपथपत्र 22 ग प्रस्तुत कर कथन किया गया कि उक्त मूलवाद किसी अन्य सक्षम न्यायालय में अन्तरित किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

विद्वान सिविल जज (जू०डि०) भोगनीपुर, कानपुर देहात की आख्यानुसार वाद संख्या–180/2018 जगन्नाथ बनाम स्वर्णलता आदि उनके न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें पत्रावली 51 क प्रार्थनापत्र के निस्तारण/आपत्ति हेतु नियत है। यह भी आख्या दी गयी कि यदि उक्त पत्रावली किसी अन्य न्यायालय में अन्तरित की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

आवेदक की ओर से अन्तरण हेतु मुख्य रूप से यह आधार लिया गया कि उक्त मूलवाद के वादी के पिता श्री संजय कुमार शुक्ला पेशे से एडवोकेट है और इस कारण भोगनीपुर न्यायालय का

Digitally signed by RAVINDRA SINGH
Date: 2026.09.03 16:55:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कोई भी अधिवक्ता पैरवी करने हेतु तैयार नहीं है और एक अधिवक्ता जो माती कानपुर देहात से आते हैं, वाद में पैरवी करने हेतु तैयार हुये तो श्री संजय कुमार शुक्ला, एडवोकेट द्वारा आवेदक के अधिवक्ता को आवेदक की ओर से पैरवी करने के लिए मना कर दिया और जान से मारने की धमकी दी गयी। आवेदक द्वारा अपने उक्त कथनों के समर्थन में मूलवाद में अधिवक्ता श्री आर०पी० मिश्रा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की सत्यापित प्रति दाखिल की गयी है जिसमें श्री संजय कुमार शुक्ला एडवोकेट द्वारा आवेदक की ओर से पैरवी करने पर अधिवक्ता श्री आर०पी० मिश्रा को जान से मारने की धमकी दिये जाने और इस कारण वकालत वापस करने का तथ्य उल्लिखित किया गया है। इसके अतिरिक्त विपक्षी संख्या–2 व 3 द्वारा अन्तरण प्रार्थना पत्र के विरूद्ध अनापत्ति प्रस्तुत कर कथन किया गया कि उन्हें अन्तरण प्रार्थना पत्र के विरूद्ध कोई आपत्ति नहीं है। मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र 4 ग स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अन्तरण प्रार्थना पत्र 4 ग स्वीकार किया जाता है।

वाद संख्या–180/2018 जगन्नाथ बनाम स्वर्णलता आदि विधिनुसार सुनवाई एवं निस्तारण हेतु न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) भोगनीपुर, कानपुर देहात से वापस लेकर न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) कानपुर देहात में स्थानान्तरित की जाती है।

इस आदेश की एक–एक प्रति सम्बन्धित न्यायालयों को भेजी जाए।

तदनुसार प्रकीर्ण वाद निस्तारित किया जाता है।

(रविन्द्र सिंह)
जिला जज,
रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।
J.O. Code–UP02003